संख्याः /XXIV-2/2004

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल,
नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 27 नवम्बर,2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के पेयजल योजना के रख–रखाव के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एसएसजीके/ एडम/ 05 /687 दिनॉक 28–7–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के पेयजल योजना के रख–रखाव के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम,(निर्माण खण्ड) नैनीताल द्वारा गठित आगणन रू0 11.49 लाख सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 9.75 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं। अनुमोदित लागत के सापेक्ष शेष धनराशि प्रश्नगत विद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) — कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202— सामान्य शिक्षा— आयोजनेत्तर—02—माध्यमिक शिक्षा—800 अन्य व्यय— 06— सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, नैनीताल को

जलसम्पूर्ति हेतु अनुदान –20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–335/वि०अनु०-1/2004 दिनॉक 27/11/2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः 820(1)/ XXIV-2/2004 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– जिलाधिकारी नैनीताल ।
5– कोषाधिकारी, नैनीताल
6– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
7– संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
8– वित्त विभाग
9– अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम (निर्माण खण्ड), नैनीताल।
10– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव